जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 16 संख्याः 324 प्रभात हिण्डौन सिटी, शुक्रवार 27 सितम्बर, 2024 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने यू.पी. की योगी सरकार को भी पीछे छोड़ा

योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान ढाबे के मालिक का नाम ''डिसप्ले'' करने का अस्थायी आदेश जारी किया था, पर, हिमाचल सरकार ने स्थायी नोटिफिकेशन जारी किया

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 सितम्बर। कांग्रेस-शासित हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड सरकारों के उन आदेशों का अनुकरण किया है, जिनमें भोजनालयों एवं रेस्टोरेन्टों को अपनी आई.डी. प्रदर्शित करने के निर्देश दिये गये थे। हिमाचल सरकार के इस आदेश पर राजनेताओं और ऐक्टिविस्टों ने घोर आक्रोश व्यक्त किया है तथा सुखविन्दर सिंह सुक्खू सरकार के स्थायित्व पर सवाल खड़े किये हैं।

कांवड़-यात्रा के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश की पुनरावृत्ति के अन्तर्गत, हिमाचल सरकार ने 25 सितम्बर को आदेश जारी किये कि राज्य के भोजनालयों एवं रेस्टोरेन्टों को उनके नाम प्रदर्शित करने होंगे। पी.डब्ल्यू.डी. एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि यह आदेश यह सुनिश्चित करने के लिये जारी किया गया है कि ग्राहकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।

- **पर, हिमाचल की सरकार का आदेश अनायास या गलती से नहीं निकला था। हिमाचल में स्थानीय व बाहरी का सवाल व विवाद इन दिनों काफी गर्माया हुआ है और इस तरह की तीन चार ''साम्प्रदायिक'' घटनाएं हो चुकी हैं।**
- **कांग्रेस भी इस बाहरी व स्थानीय विवादों से अछूती नहीं है। एक खेमा रोहिंग्या व बांग्लादेशियों को स्वीकार करने के पूर्णतया खिलाफ है। अतः वे ढाबों व थड़ियों के मालिकों का पहचान पत्र ''डिसप्ले'' करने के पक्ष में हैं।**
- **दूसरा खेमा इस पहचान पत्र की प्रक्रिया को, कांग्रेस की मूल धर्मनिरपेक्ष सोच के विरूद्ध मानता है।**

प्रसंगवश बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के इन आदेशों पर उस समय स्टे लगा दिया था, जब कई याचिकाकर्ताओं ने अदालत में यह कहा था कि इस आदेश का उपयोग जाति एवं धर्म के आधार पर भेदभाव करने में किया जा सकता है। हिमाचल सरकार का आदेश, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड सरकारों के इसी किस्म के आदेशों के एक कदम आगे हैं, उन दोनों सरकारों ने तो अस्थाई आदेश जारी किये थे, जबकि हिमाचल की अधिसूचना स्थाई है।

ऐसे समय, जब राहुल गांधी ''मोहब्बत की दुकान'' के नारे को काम में लेते हुये प्रचार कर रहे हैं, सुक्खू सरकार का यह आदेश विसंगत एवं भिन्न स्वर लिये हुये है तथा कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष राजनीति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है। हिमाचल के कांग्रेस नेता भी इस मुद्दे पर विभाजित बताये जाते हैं तथा ऐसी रिपोर्ट हैं कि विक्रमादित्य सिंह तथा मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण के लिये दिल्ली तलब किये जायेंगे।

एक हिन्दू-समर्थक लहर पूरे राज्य में पिछले कुछ महीने से चलती दिखाई दे रही है तथा राज्य के निवासियों तथा बाहरी लोगों के बीच हुई आधा दर्जन से अधिक झड़पों की जानकारी मिली है। मार्च में, धर्मशाला के पास स्थानीय लोगों के साथ हुये किसी विवाद के चलते, एक सिख पर्यटक की पिटाई कर दी गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। जून में सिरमोर जिले के नाहन नामक कस्बे में मुस्लिमों की दुकानों पर हमले किये गये, जिसके बाद कई मुस्लिम परिवार कस्बा छोड़ कर चले गये थे। सितम्बर में, सोलन में एक मुस्लिम दुकानदार पर हमला किया गया।

राज्य में गैर-हिन्दुओं के खिलाफ होते जा रहे माहौल के चलते, राज्य कांग्रेस के कुछ ग्रुप हिन्दू-समर्थक रूख इख्तियार कर रहे हैं, जबकि पार्टी के अन्य ग्रुपों का कहना है कि ऐसी नीतियाँ कांग्रेस के मूल धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पूर्व मंत्री महेश जोशी के पुत्र को दुष्कर्म केस में फिलहाल राहत नहीं

जयपुर, 26 सितंबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में फिलहाल राहत नहीं दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगते हुए प्रकरण की सुनवाई 25 अक्टूबर को तय की है। अदालत ने यह आदेश रोहित जोशी की आपराधिक याचिका पर दिए। याचिका में उसके खिलाफ दर्ज दुष्कर्म की एफआईआर और आरोप पत्र को रद्द

- **रोहित जोशी ने दुष्कर्म की एफ.आई. आर. तथा आरोप पत्र रद्द करने की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई थी। अदालत ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगते हुए 25 अक्टूबर की सुनवाई तय की।**

करने की गुहार की गई है।

सुनवाई के दौरान आरोपी याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि जब तक याचिका तय नहीं होती, तब तक निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट हरिहरन ने कहा कि शिकायतकर्ता व रोहित के बीच सहमति से संबंध बने थे, और यह मामला हनीट्रैप का है। शिकायतकर्ता ने रोहित पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चीन की आक्रामक विदेशी नीति का आधार है अंधी राष्ट्रीयता, जो बचपन से कूट-कूट कर भरी जाती है

यहां कौमपरस्ती की इतनी इन्तिहा हो गई है कि आम नागरिक भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 सितम्बर। चीन का कट्टर राष्ट्रवाद अपने आप के लिए घातक होता जा रहा है।

चीन के शेनझेन शहर में एक मां ने उस शहर में मारे गए एक जापानी बच्चे की याद में फूल अर्पित करते हुए लिखा, ''आशा करती हूँ, स्वर्ग में नफरत नहीं होगी।''

विदेशियों के लिए नफरत को बढ़ावा देने के चीन के घोषित कार्यक्रमों को लेकर इस समय देश में दुःख और आत्म संदेह का जो भाव व्याप्त है, यह उसका लक्षण है। नफरत भरे कार्यक्रमों का निशाना जापानी थे और राज्य मीडिया ने उस देश के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई थीं।

जापानियों के विरूद्ध ''हेट क्राइम'' की एक घटना में चीन के शेनझेन शहर में गत सप्ताह एक स्कूली बच्चे को चाकू मारे गए, जिसकी अस्पताल जाते समय मृत्यु हो गई। जापानी नागरिकों, जिनमें स्कूल जाने वाले बच्चे भी शामिल हैं, के विरूद्ध बढ़ते आक्रोश को दर्शाते हुए एक चीनी आदमी ने इस घटना को

- **चीन की इस कौमपरस्ती का लक्ष्य आजकल जापान है और जापानियों से घृणा का सबक छोटे बच्चों को प्रारम्भ से पढ़ाया जाता हैं, स्कूलों में, सरकारी मीडिया आदि द्वारा भी।**
- **नतीजा यह है कि चीनी युवकों के गिरोह पनप गये हैं, जो अपनी कौमपरस्ती साबित करने के लिये कुछ भी करने को तत्पर हैं।**
- **हाल ही में शेनझैन में एक जापानी बच्चे की स्कूल जाते समय, ऐसे ही एक युवक ने चाकू से गोद-गोद कर हत्या कर दी।**
- **चीन की आम जनता भी इस वीभत्स घटना से हिल गई और शोक व ग्लानि में डूब गई। देश में माहौल दुःख व अन्तरआत्मा को झकझोरने का व दिशा भ्रम का है। देश के कोने-कोने से मृत जापानी बालक के लिये सहानुभूति के संदेश पहुंच रहे हैं। एक मां ने लिखा, ''मैं यह ही प्रार्थना करती हूं कि स्वर्ग लोक में ऐसी घृणा तो न हो।''**

अंजाम दिया।

बच्चे की मृत्यु से चीन सकते में आ गया तथा सामान्य चीनी नागरिकों में भारी पछतावा देखा गया। देश के दूरस्थ कोनों से भी इस जापानी स्कूल में पुष्पांजलियाँ भेजी जा रही हैं तथा देश में हो रही इन घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया पर शोक तथा संताप की भावनाएं वायरल हो रही हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री मोदी ने डॉ. मनमोहन सिंह को जन्म दिन की बधाई दी

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 92 वर्ष के हो गए हैं

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 सितम्बर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह आज 92 वर्ष के हो गये। इस अवसर पर कांग्रेस

- **सभी दलों के नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को जन्म दिन की बधाई दी तथा उनके अच्छे स्वास्थ्य व दीर्घ जीवन की शुभकामनाएं दीं। सभी नेताओं ने भारत को ग्रोथ और विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए उनके योगदान की प्रशंसा की।**
- **राहुल गांधी ने कहा, आपकी विनम्रता, विद्वत्ता और देश के भविष्य को आकार देने में निस्वार्थ सेवाभाव हमेशा मुझे प्रेरित करता रहेगा।**
- **आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और असम के मुख्यमंत्री हिमान्त बिस्वा सरमा, एन.सी.पी. प्रमुख शरद पवार ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को जन्म दिन की शुभकामनाएं दीं।**

सहित, विभिन्न पार्टियों के प्रमुख नेताओं ने उन्हें जन्म दिन की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ जैसी आ गई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पूर्ववर्ती को उनके जन्म दिन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री ने कहा, ''पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी को जन्म दिन की बधाई। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे एवं लम्बा जीवन प्रदान करे।''

सभी नेताओं ने भारत की ग्रोथ एवं विकास में उनके योगदान की भूरि-भूरि प्रशंसा की। सिंह 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे तथा 1991-96 के दौरान वे पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार में देश के वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल रूपान्तरकारी आर्थिक सुधारों के लिये जाना जाता है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो आधुनिक भारत के स्वरूप में सिंह की केन्द्रीय भूमिका के बारे में अक्सर बोलते रहते हैं, ने विनम्रता एवं बुद्धिमता के लिये पूर्व प्रधानमंत्री की प्रशंसा की। गांधी ने ''एक्स'' पर अपने हृदयस्पर्शी मैसेज में कहा, ''डॉ. मनमोहन सिंह जी को जन्म दिन की बधाई। आपकी विनम्रता, बुद्धिमता एवं देश के भविष्य को स्वरूप देने में आपकी निस्वार्थ सेवा मुझे और करोड़ों भारतीयों को प्रेरित करती आ रही है। ईश्वर आपको सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रखे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सिंह को भारत में उदारीकरण एवं आर्थिक सुधारों के अग्रदूत के रूप में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में हाई कोर्ट ने चिकित्सकों को जमानत दी

जयपुर, 26 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने फर्जी एन.ओ.सी. के जरिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने से जुडे मामले में आरोपी डॉक्टर्स संदीप गुप्ता व जितेन्द्र गोस्वामी सहित कंपाउंडर भानू लववंशी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए

- **न्यायालय ने माना कि दोनों डॉक्टर फर्जी एन.ओ.सी. बनाने की कार्यवाही में शामिल नहीं हैं।**
- **किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले बांग्लादेशी नागरिक व कोऑर्डिनेटर व अन्य को जमानत देने से कोर्ट ने इन्कार किया।**

हैं, जबकि किडनी ट्रांसप्लांट करवाने वाले बांग्लादेशी नागरिक अहसान उल कोबिर, नुरूल इस्लाम सहित सुखमय नंदी, सुमन जाना व कोऑर्डिनेटर विनोद सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कर्नाटक ने सी.बी.आई. की एन्ट्री पर रोक लगाई

कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सी.बी.आई. को जाँच के लिए दी गई सहमति वापस ले ली है

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 सितम्बर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य में जाँच के लिए सी.बी.आई. को दी गई मंजूरी वापस ले ली गई है और एक तरह से केन्द्र बनाम कर्नाटक के बीच खुली जंग छिड़ गई है। इस फैसले को सिद्धारमैया व उनकी पत्नी के खिलाफ जमीन घोटाले में अदालत द्वारा जाँच के आदेश दिए जाने से जोड़ कर देखा जा रहा है।

कोर्ट द्वारा जाँच के आदेश देने के बाद मुख्यमंत्री के इस्तीफे की माँग तेज हो गई है और कर्नाटक के कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि राज्य सी.बी.आई. की पक्षपातपूर्ण कार्यवाही को रोकना चाहता है। कांग्रेस का दावा है कि सी.बी.आई. भाजपा के आदेश पर इसके नेताओं को निशाना बनाती है, खासकर चुनावों से पहले। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले का सिद्धारमैया पर लगे आरोपों से कोई

- **कर्नाटक सरकार के इस फैसले को, हाई कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ जाँच की अनुमति दिए जाने से जोड़कर देखा जा रहा है।**
- **कर्नाटक सरकार के इस फैसले के बाद अब सी.बी.आई. राज्य सरकार की अनुमति के बिना मामले की जाँच नहीं कर सकती है।**
- **भाजपा तथा उसकी सहयोगी पार्टी जनता दल-एस ने सिद्धारमैया सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की तथा उनके इस्तीफे की मांग की।**
- **कांग्रेस का कहना है कि सी.बी.आई. के पक्षपाती रवैये के कारण यह कदम उठाया गया है और अब तक हमने जितने भी केस सी.बी.आई. को भेजे उनमें से कुछ में तो सी.बी.आई. ने जाँच भी शुरु नहीं की है और कुछ केसों में चार्जशीट फाइल नहीं की है।**

संबंध नहीं है।

कानून मंत्री पाटिल ने कहा, ''हम राज्य में सी.बी.आई. जाँच की खुली मंजूरी वापस ले रहे हैं। हम एजेंसी के दुरुपयोग के प्रति चिंता व्यक्त कर रहे हैं। एजेंसी पक्षपाती है, इसलिए हमने यह निर्णय लिया है। सारी कैबिनेट मुख्यमंत्री के साथ है, हमने उन्हें जवाबी कार्यवाही के लिए प्रोत्साहित किया है।''

इसका अर्थ है कि राज्य सरकार की लिखित अनुमति के बिना राज्य में सी.बी.आई. किसी भी केस की जाँच नहीं कर सकती है।

पाटिल ने कहा कि सी.बी.आई. के एक्शन से राज्य सरकार के मन में संदेह पैदा हो रहा है। हमने जितने भी केस सी.बी.आई. को रैफर किए हैं उन सभी में सी.बी.आई. ने चार्जशीट दायर नहीं की है। कई केस लंबित हैं। यही नहीं कई मामलों में तो उन्होंने जाँच तक करने से मना कर दिया है। विपक्षी दल शासित अधिकांश राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू, केरल आदि ने पहले ही सहमति वापस ले ली है। अब इसमें कर्नाटक भी शामिल हो गया है।

अब ट्रायल कोर्ट ने सी.एम. को पुलिस केस फेस करने का आदेश दिया है और विपक्षी पार्टी भाजपा मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांगकर रही है। पार्टी का कहना है कि राज्य की पुलिस मुख्यमंत्री

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

100 करोड़ रूपए के मानहानि केस में संजय राउत को 15 दिन जेल की सजा

नयी दिल्ली, 26 सितंबर। भाजपा नेता की पत्नी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत दोषी करार दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट

- **राउत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया व उनकी पत्नी पर शौचालय निर्माण की राशि के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। जिसके बाद सोमैया ने 100 करोड़ रूपये की मानहानि का केस दायर किया था।**

सोमैया की पत्नी मेधा द्वारा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत पर मानहानि का केस दर्ज कराया था। आज इस मामले में मजगांव कोर्ट ने मानहानि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर, आधुनिकतम शहर बनेगा कर्नाटक में

इस इकोफ्रैंडली शहर को ''नॉलेज, रिसर्च और इनोवेशन'' का वैश्विक केन्द्र बनाया जाएगा

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 सितम्बर। कर्नाटक, जो कि हमेशा भाजपा- नीत केन्द्र सरकार के सौतेले व्यवहार की शिकायत करता है, ने अपने अत्याधुनिक शहर के.डब्ल्यु.आई.एन. (नॉलेज, वैलबीईंग, एण्ड इनोवेशन अर्थात क्विन) बनाने का काम शुरु कर दिया है। यह मेगा प्रोजैक्ट बैंगलूरु के समीप है। इसका लक्ष्य बैंगलुरु की भीड़ को कम करना है। यहां उन वैश्विक कम्पनियों को विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, जो भारत को अपना घर बनाना चाहती है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शहर के डिज़ाइन का अनावरण किया और कहा कि क्विन सिटी का लक्ष्य एक गतिशील, इकोफ्रैंडली महानगर बनाने का है, जिसमें 5 लाख लोग रह सकेंगे।

यहां 465 एकड़ में फैला सोलर फार्म होगा, जो पूरे शहर की बिजली की जरुरत पूरी करने के लिए 0.69 मिलियन मेगावॉट बिजली बनाने में सक्षम होगा। यह भविष्य का महानगर होगा। जिसमें चार जिलों नॉलेज, हैल्थ, इनोवेशन और रिसर्च के लिए पर्याप्त बिजली, पानी होगा, हरियाली होगी और यहां सर्वश्रेष्ठ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिलेगा।

क्विन सिटी किसी भी राज्य सरकार का अब तक सबसे विस्तृत रियल एस्टेट प्लान होगा, राज्य की राजधानी के अलावा। यह डाबास्पेट और डोड्डाबल्लापुर के बीच में होगा जो कि कैम्पेगौडा एयरपोर्ट से 60 किलोमीटर दूर और बैंगलुरु -पुणे ग्रीन फील्ड एक्सप्रैस वे से मात्र 5 किलोमीटर दूर है। इस प्रकार इसका इन्ट्रा व इंटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम एकदम सुनियोजित होगा तथा

- **बैंगलूरु के समीप स्थित यह शहर 5,800 एकड़ में बसेगा, जिसमें 465 एकड़ में फैला सोलर फार्म बनाया जाएगा जो शहर के उपयोग के लिए पर्याप्त बिजली उत्पादन करेगा।**
- **इस शहर में 5 लाख लोगों को बसाने का लक्ष्य है। विश्वस्तरीय कम्पनियों को इस शहर में लाने के प्रयास किए जाएंगे।**
- **यह शहर बैंगलूरु-पुणे-ग्रीन फील्ड एक्सप्रैस वे से मात्र 8 किलोमीटर दूर होगा। इस प्रकार इसकी, राज्य के व राज्य के बाहर के शहरों से बेहतर कनैक्टिविटी होगी।**

इसका बैंगलौर -हुबली- मुम्बई एक्सप्रैस रेल मार्ग से सीधा सम्पर्क है और यह नैशनल हाइवे 44 तथा 648 के भी निकट है। उद्योग विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कर्नाटक लम्बे समय से भारत का ''इन्टलैक्चुअल पावर हाउस'' रहा है। यहां 50 से ज्यादा विश्वविद्यालय, 230 इंजीनियरिंग कॉलेज, 1700 आई.टी.आई. हैं। हमारे राज्य में देश का सबसे बड़ा ''नॉलेज पूल'' है। ये सिर्फ संस्थान नहीं हैं, बल्कि बदलाव के उत्प्रेरक और राज्य को की ग्रोथ को बढ़ाने वाले हैं।''

क्विन सिटी का लक्ष्य विश्व के 500 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को भारत में कैम्पस स्थापित करने के लिए आकर्षित करना है। ये कदम शिक्षा व उद्योग के रिश्ते को मजबूत करेंगे और कर्नाटक को वैश्विक शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाएंगे। यहां लाइफ साईंस पार्क भी बनेगा जो क्विन सिटी को एशिया का प्रमुख मैडिकल शिक्षा केन्द्र बना देगा। इसके लिए देश और दुनिया के टॉप अस्पतालों को यहां आने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

इस वॉक-टू-वॉक मॉडल में यहां के निवासी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के सही तालमेल का लुत्फ उठा पाएंगे। इसमें कार्बन उत्सर्जन में भी भारी कमी होगी। इसमें उच्चस्तरीय जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करने वाली आधुनिक सुविधाएं होंगी।

क्विन सिटी के विज़न में योगदान देने वाले एडवायज़री बोर्ड में बायोकॉन की अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ, नारायणा हैल्थ के संस्थापक डॉ. देवी शैट्टी, बॉस्टन युनिवर्सिटी के बोर्ड ट्रस्टी रैंच किम्बैल, वैक्सफर्ड साईन्स एण्ड टैक्नॉलजी के एग्ज़ीक्युटिव वाइस प्रैसिडैंट थॉमस ओशा, इन्फोसिस के पूर्व सी.एफ.ओ. एवं बोर्ड सदस्य मोहनदास पै, जैरोधा के सहसंस्थापक निखिल कामथ, एक्सेल के पार्टनर प्रशांत प्रकाश, चीफ कार्डियोथोरैसिक एवं वैस्कुलर सर्जन डॉ. विवेक जावाली, यू.टी. ऑस्टिन में इनोवेशन ऑंत्रप्रैन्यॉरशिप के स्टीफन एस. एक्कर और पेरिस के पॉलिटैक्नीक इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष डॉमिनिक रॉसिन शामिल हैं।

यमुना एक्सप्रेस वे पर 1 अक्टूबर से टोल बढ़ेगा

ग्रेटर नोएडा, 26 सितंबर। यमुना एक्सप्रेस का सफर एक अक्टूबर से महंगा हो जाएगा। यमुना प्राधिकरण के बोर्ड की मीटिंग में टोल बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। जानकारी के अनुसार, यमुना प्राधिकरण ने टोल की दरें चार प्रतिशत बढ़ा दी हैं। टोल की नई दरें एक अक्टूबर से लागू होंगी। इससे पहले

- **ग्रेटर नोएडा से आगरा तक अब कार चालकों को 295 रुपये तथा बस चालकों को 935 रुपये टोल देना पड़ेगा।**

प्राधिकरण ने साल 2022 के मार्च में टोल की दरों में 12 प्रतिशत इजाफा किया था।

जानकारी के अनुसार, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक कार चालकों को अब 295 रुपये टोल देना होगा। इससे, कार

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)